

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 07/2017

निर्णय दिनांक: २३.१.२०२२

ऑनलाईन नंबर 2017/00085

तोलाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला  
बीकानेर।  
-वादी -

बनाम

1. कोजी पुत्री स्व. आसूराम पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल निवासी हाल सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. माली पुत्री रेवंती पत्नी भोजाराम जाति मेघवाल निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. चौनाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

-प्रतिवादीगण -

उपस्थिति:-

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक वादी
2. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा वाकेरोही ग्राम सूडसर में स्थित था। उक्त खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता/ नाना / ससुर आसूराम पुत्र कुम्भाराम जाति चमार निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ के नाम से दर्ज थी। उक्त खेत खसरा नम्बर 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा रोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ के खातेदार आसूराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त खेत की भूमि में से अंगुणी दिखणादी 13 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 17.04.1980 को वादी तोलाराम को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खसरा की अंगुणी दिखणादी 13 बिस्वा भूमि का कब्जा क्रेता तोलाराम (वादी) को सुपुर्द कर दिया था। वादी द्वारा उक्त भूमि खरीद करने के बाद उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जाने लगा। वादी द्वारा उक्त भूमि को खरीद करने के बाद उक्त 13 बिस्वा भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी को विक्रय पत्र की एक प्रति सुपुर्द कर दी थी तथा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया गया था कि खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि में से अंगुणी दिखणादी 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। वादी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी को उपरोक्त खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से अंगुणी दिखणादी 13 बिस्वा भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए विक्रय पत्र दिनांकित 17.04.1980 की एक प्रति तथा प्रार्थना पत्र देने के बाद वादी निश्चित होकर अपने दैनिक कार्यों और

Wjg

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



मजदूरी करने में व्यस्त हो गया। कालान्तर में खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर कायम हो गये। वादी को अपनी खरीद शुदा 13 बिस्वा भूमि के कुछ हिस्सा को आस पास के पड़ोसियों द्वारा दबाई जाने की आशंका हुई तो वादी ने अपनी भूमि का सीमांज्ञान करवाने के वास्ते खेत खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर रोही सूडसर की जमाबंदी दिनांक 19.09.2016 को तथा अन्य कागजात निकलवायें तब वादी को ज्ञात हुआ कि खेत खसरा नम्बर नया 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर में से 13 बिस्वा भूमि का इन्तकाल आज तक वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ है व उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि का इन्तकाल आसूराम की मृत्यु के बाद विरास्तन तौर पर आसूराम की पुत्रियों भंवरी, कोजा व दोहिती माली के नाम दर्ज हो गई है। भंवरी की भी मृत्यु हो चुकी है। भंवरी के कोई संतान नहीं होने के कारण उसके पति चौनाराम को प्रतिवादी सं. 3 के रूप में दावा में पक्षकार बनाया गया है। वादी को खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर के सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां निकालवाने के बाद मालूम हुआ कि खसरा नम्बर 335 की 13 बिस्वा भूमि का इन्तकाल वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ है तो वादी ने स्व. आसूराम की पुत्रियों से सम्पर्क किया तो वादी को मालूम हुआ कि स्व. आसूराम की पुत्री भंवरी जिसके नाम खसरा नम्बर 335 की 1/3 हिस्सा के रूप में खातेदारी दर्ज है जो कि लाऔलाद फौत हो गई है जिसके कारण भंवरी के पति प्रतिवादी सं. 3 चौनाराम से निवेदन किया कि आप तहसील कार्यालय चलकर सहमति से विक्रय पत्र दिनांक 17.04.1980 के आधार पर वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करवा दो तो भंवरी के पति चौनाराम ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। फिर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से भी निवेदन किया तो वे भी इन्कार हो गये तब वादी ने फिर प्रतिवादी संख्या 4 के यहां पर दिनांक 20.01.2017 को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की गुहार लगाई तो प्रतिवादी सं. 4 ने कहा कि अब काफी समय हो गया है, अब हम उपखण्ड न्यायालय के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते, आपको उपखण्ड न्यायालय से आदेश लाना होगा। वादी द्वारा दिनांक 17.04.1980 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खसरा नम्बर पुराना 254 तादादी 5 बीघा 6 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर है में से अमुणी दिखणादी तरफ की 13 बिस्वा भूमि खरीद करने के कारण उक्त 13 बिस्वा भूमि की खातेदारी की घोषणा वादी अपने नाम करवाने का अधिकारी है, इसी आधार पर वादी को वादाधार प्राप्त है तथा दिनांक 20.01.2017 को प्रतिवादी सं. 4 द्वारा वादी के नाम इन्तकाल दर्ज करने से व खातेदारी की घोषणा करने से मना करने से वाद हेतु हासिल है। राजस्व रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाता है जो अनुवानी दावा में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा में पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी के नाम इन्तकाल दर्ज करने से इन्कार करने से वादी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रकार मामला आवश्यक प्रकृति का है व तुरन्त दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त दावा अत्यन्त ही अमरजेन्सी का है

उपखण्ड अधिकारी  
भारगढ़ (बीकानेर)



इसलिए उक्त दावा में धारा 80 री. पी. सी. के नोटिस गियादी 2 माह की श्रुत मान्य न्यायालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्ली फरमाया जावे:-

- (क) कि घोषित किया जावे कि वादी वर्तमान खेत खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर में से अगुणी दिखणादी तरफ की 13 बिसवा तदनुसार 0.16 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काबिज काशतकार है।
- (ख) कि खेत खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर में से अगुणी दिखणादी तरफ की 13 बिसवा भूमि तदनुसार 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम अलग से दर्ज की जाकर अलग ही लगान कायम करने व अलग ही पास बुक जारी करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिया जाकर आदेश की पालना करवाई जावे।
- (ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।
- (घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। परन्तु प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

#### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 335 तादादी 1.34 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर में वादी द्वारा दिनांक 17.04.1980 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पूर्वी-दक्षिण (अगुणी दिखणादी) तरफ की 13 बिसवा तदनुसार 0.16 हैक्टेयर भूमि खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर अलग ही लगान कायम करने व अलग ही पास बुक जारी करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्ली जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।



(दिवा)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (श्रीकानेर)